

प्रेषक,

उप निदेशक कारखाना/बॉयलर, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी ।

सेवा में,

दखलकार/कारखाना प्रबंधक

1000HP से अधिक क्षमता वाले
बॉयलर स्थापित करने वाले समस्त
कारखाना प्रबंधकों को प्रेषित

पत्रांक 1194 एफ/बॉ0
महोदय,

दिनांक 01/11/2019

कृपया, श्रमायुक्त महोदय के संलग्न कार्यालय आदेश संख्या: 1085/श्र0शि0
/स्था0/2019 दिनांक 27.03.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा
उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित बॉयलरों के Third Party Inspection and Certification के
संदर्भ में आदेश जारी किये गये थे कि सूचीबद्ध Agencies ऐसे Boiler Operation
Engineer(BOE) द्वारा ही Audit एवं Certification सुनिश्चित करें जो कि निम्न अहर्ता
धारित करते हों।

1. Graduate in Mechanical/Production/Power Plant/Metallurgical engineering
from a recognised institution; and
2. Minimum 5 years of experience in the field related to boilers.

अतः बॉयलर का थर्ड पार्टी निरीक्षण करवाते समय उक्त आदेश का संज्ञान लेने
का कष्ट करें।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पी0सी0 कापडी)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,

कृते उप निदेशक कारखाना/बॉयलर, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, हल्द्वानी।

पत्रांक एफ/बॉ0

दिनांक 2019

प्रतिलिपि: राज्य में स्थापित बॉयलरों के Third Party Inspection and Certification के लिये
सूचीबद्ध समस्त फर्मों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी0सी0 कापडी)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,

कृते उप निदेशक कारखाना/बॉयलर, उत्तराखण्ड,

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश 225/c/श्र0शि0/स्था0/2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा Empanelled कतिपय Agencies को उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित ब्वायलरों के Third Party Inspection and Certification के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

निरीक्षण/Audit व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु यह निर्देश दिया जाता है कि सूचीबद्ध Agencies ऐसे Boiler Operation Engineer (BOE) द्वारा ही Audit एवं Certification सुनिश्चित करे जो कि निम्न अर्हता धारित करते हों।

- 1- Graduate in Mechanical/Production/Power Plant/Metallurgical engineering from a recognised institution; and
- 2- Minimum 5 years of experience in the field related to boilers.

भारत सरकार (DPIIT) (पूर्व में DIPP) द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी दुर्घटना की स्थिति में संबंधित कारखानेदार/ब्वायलर स्वामी तथा Certifying Authority का उत्तरदायित्व यथावत् बना रहेगा।

यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होंगे।

(अनिल पेटवाल)

श्रम आयुक्त (कार्यवाहक) उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय: श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

संख्या : 1085 /श्र0शि0/स्था0/2019

दिनांक : 27/03/2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में लाये जाने हेतु।
- 2- सचिव श्रम, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
- 3- संयुक्त श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड।
- 4- उप निदेशक कारखाना/ब्वायलर, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
- 5- समस्त उप श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
- 6- सहायक निदेशक, कारखाना/ब्वायलर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(अनिल पेटवाल)

श्रम आयुक्त (कार्यवाहक) उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।